


104

211

म/निगाण रीवा [सं.सं/2017/4563

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खातियर, सर्किट कोर्ट, रीवा म०प्र०



187-401-

श्री सुरेश्वरिया
रा.वे. 21-11-17

कलक आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० खातियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

- 1:- श्रीउर्षी तिरिया तनय भैया लाल कोल उम्र 42 वर्ष, पेशा मजदूरी जाति आदिवासी & कोल निवासी ग्राम शिमपुरवाटोला, निपानिया, वार्ड नं०। तह० हुन्नर जिला रीवा म०प्र०
- 2:- लखई कोल तनय कोल्ला कोल आदिवासी उम्र 49 वर्ष, पेशा मजदूरी
- 3:- छोटे लाल कोल तनय रघुनाथ आदिवासी & कोल उम्र 49 वर्ष, पेशा मजदूरी
- 4:- राजेन्द्र कोल तनय रमेश्वर कोल उम्र 40 वर्ष, पेशा रिक्शा चालक
- 5:- मुन्नी पत्नी राम प्रसाद आदिवासी & कोल पुत्री भैया लाल कोल पेशा मजदूरी
- 6:- रबी तनय श्री राम प्रसाद & आदिवासी & कोल उम्र 28 वर्ष पेशा मजदूरी
- 7:- छोटे लाल कोल तनय क्ताहुर कोल & आदिवासी & उम्र 40 वर्ष पेशा मजदूरी
- 8:- ददुल्ला & आदिवासी & कोल पिता जग्यसेन कोल उम्र 55 वर्ष, पेशा मजदूरी, सभी निवासी गण ग्राम शिमपुरवा, निपानिया रीवा नगर वार्ड नं०। थाना सिटी कोत० जिला रीवा म०प्र०

— आवेदकण
पुनरीक्षणार्थीगण

बनाम

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1:- मोहन सिंह उम्र 59 वर्ष | | दोनो पिता दामोदर सिंह |
| 2:- सूर्यपाल सिंह उम्र 54 वर्ष | | |
| 3:- चिन्दू उर्षी राजेश सिंह उम्र 32 | | दोनो पिता मोहन सिंह |
| 4:- बबबल सिंह | | |
| 5- लालमणि सिंह तनय ददोली सिंह उम्र 59 साल | | |
| 6- गोविन्द सिंह उम्र 44 साल | | दोनो पिता राम सिंह |
| 7- राजू सिंह | | |
| 8- राम सिंह तनय नामालूम उम्र लगभग 74 साल | | |

सभी निवासी ग्राम शिमपुरवा टोला, निपानिया वार्ड नं०। रीवा तहसील हुन्नर जिला रीवा म०प्र०

— — — अनावेदकण
गैर निगराकार
बमश/2




my

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 4563

जिला-रीवा

श्री उर्फ सिरिया / मोहन सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 27/अ-70/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <div style="text-align: center;">   (बी.एम.शर्मा) सदस्य </div> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  </div>	